आदेश	कार्यवाही विवरण
	पत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण ने न्यायालय [illegible] अधिवक्ता [illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] कार्यवाही दिनांक 22/2/2022 को पेश हो।
	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दि.................पर हैं अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 4/3/22 को पेश हो।
	9/3/2022
9.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15-3-22 को पेश हो।
15-3-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस श्रवण की गई। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षगण सहमत हैं। अतः विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। विस्तृत अंतिम डिक्री व निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। 15/3/22

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न0 पुराना- 18/2008
मुकदमा नं0 नया- 38/2009
जी.सी.एम.एस. नं. 2009/0073

निर्णय दिनांक : 15.03.2022

मुकेश कुमार वगै0

बनाम

मोज देवी आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2008 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा के भूमि ख.नं. 133, 135, 138 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.11.2008 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र कमांकः- भू0अ0/2009/742 दिनाक 03.06.2009 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.11.2008 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.06.2009 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/3/22
(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) उदयपुरवाटी